कालाधन पर कारगर अंकुश

रोहित देव झा

नि:संदेह किसी भी अर्थव्यवस्था में से कालेधन को पूर्णरूप से खत्म करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इसे कम जरूर किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में नगदी में लेन-देन कम करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक पारदर्शी और उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ईमानदार नौकरशाही, जागरूक नागरिक, ठोस कानून व्यवस्था, नैतिक सामाजिक तंत्र इत्यादि का निर्माण कर कालेधन के खिलाफ छिड़ी मुहीम को अपने अंजाम तक ले जाने की जरूरत है

विमुद्रीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक अनूठा प्रयोग और प्रयास है। जहां एक ओर इतने बड़े स्तर पर विमुद्रीकरण की कोई मिसाल मिलना मुश्किल है, वहीं दूसरी ओर इसके परिणाम या दुष्परिणाम भी बहुत स्पष्ट नहीं हैं। प्रयास इसलिए क्योंकि अपेक्षित सफलता भी सुनिश्चित नहीं हैं। इस प्रयास के अनेकों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ गिनवाये गए। जहां सबसे महत्वपूर्ण लाभ आर्थिक दृष्टि से हैं, जैसे कालेधन को मुख्यधारा में लाना और उस पर आयकर लगाना, मुद्रास्फीति की दर को काम करना, राजकोषीय घाटे की दर को कम करना। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा के दृष्टिकोण से नकली नोटों को खत्म करना और साथ-साथ आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद पर लगाम लगाना तथा सामाजिक दृष्टिकोण से सरकारी तंत्र में बढ़ते भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना, इत्यादि। इस प्रयास की सफलता-असफलता का समग्र विश्लेषण तो केवल आने वाले दिनों में ही किया जा सकता है, लेकिन एक कमनगद अर्थतंत्र, कालेधन को किस तरह प्रभावित करता है, इस पर तो चर्चा की जा सकती है।

यहां दो मुख्य बिन्दु हैं कमनगद अर्थव्यवस्था और कालाधन। मुद्रा व्यवस्था किसी भी आधुनिक अर्थतंत्र की रीढ़ होती है, सभी प्रकार का कारोबार, व्यवसाय या किसी भी प्रकार का आर्थिक क्रियाकलाप का आधार अर्थव्यवस्था प्रचलित मुद्रा ही होती है। इतना महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हुए भी मुद्रा व्यवस्था की कुछ सीमाएं और कुछ विसंगतियां होती हैं।

इन सभी विसंगतियों में सबसे प्रमुख है नगदी विनिमय, जो कालेधन का मुख्य स्रोत है।

क्या है कालाधन

कालाधन भी आर्थिक क्रियाकलापों से ही सृजित होता है। यह ऐसा अर्जित धन होता है। जिसे सरकारी तंत्र से छुपा कर रखा जाता है ताकि इस पर आयकर अदा नहीं करना पड़े। नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) के अनुसार, कालाधन वह आय होती है, जिस पर कर की देनदारी होती है, लेकिन उसकी जानकारी आयकर विभाग को नहीं दी जाती है। कालाधन का स्रोत कानूनी और गैर-कानूनी दोनों हो सकता है। आपराधिक गतिविधियां जैसे अपहरण, तस्करी, जानवरों का अवैध शिकार, ड्रग्स, अवैध खनन, घोटाले, कर्मचारियों की रिश्वतखोरी, निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों द्वारा की गई जालसाजी इत्यादि के माध्यम से अर्जित धन कालाधन कहलाता है। ये तरीके गैर कानूनी हैं। इस प्रकार से अर्जित धन पर आयकर की चोरी के अलावा अन्य भारतीय वैधानिक अधिनियम जैसे- भारतीय दंड संहिता, धनशोधन निषेध अधिनियम बेनामी संपत्ति अधिनियम इत्यादि की विभिन्न धाराओं के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकता है।

वहीं दूसरी ओर वैध तरीकों से अर्जित धन भी कालेधन की श्रेणी में आ सकता है, अगर उस पर सरकार द्वारा सुनिश्चित आयकर अदा नहीं किया गया हो। जैसे

लेखक भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी हैं और समसामयिक विषयों पर अपने विचार अपने ब्लॉग के माध्यम से व्यक्त करते हैं। आलेख में प्रस्तुत निष्कर्ष व विचार उनके निजी विचार हैं जो आयकर विभाग के अन्वेषण विंग के उनके अनुभवों पर आधारित हैं। ईमेल: arohi.rohit@gmail.com

अगर कोई व्यक्ति अपना घर किराये पर लगता है और उससे आय अर्जित करता है, लेकिन उस आय को वह आयकर रिटर्न में नहीं दिखलाता है, तब यह धन कालाधन कहलाता है। यहां आय अर्जित करने का तरीका वैध है, लेकिन इस पर कर अदा नहीं किया गया, अतः यह धन, कालेधन में तब्दील हो गया। भविष्य में जब इसकी जानकारी आयकर विभाग को मिलेगी, तब इस पर कर के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है और आयकर विभाग, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मुकदमा भी चला सकता है।

आयकर नियमों का उल्लंघन

देश में इतने सारे नियम-अधिनियम के बावजूद यह बहुत ही दुःखद और आश्चर्यजनक तथ्य है कि 132 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में केवल 5.5 करोड़ लोग ही आयकर रिटर्न भरते हैं, दुनिया के सबसे तेजी से वृद्धि करने वाले राष्ट्र में सुमार भारत में कर और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात मात्र 16:6 है। जिस देश में मात्र 24 लाख लोग 10 लाख रुपये से ऊपर की आय दिखाते हैं, वह देश समृद्धशाली कैसे बन सकता है? एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 5 वर्षों से भारत में प्रति वर्ष 25 लाख नई कारें खरीदी जाती हैं, जिसमें से लगभग 35,000 लक्जरी कारें होती हैं। आयकर आंकड़ों के अनुसार, केवल 48,417 करदाताओं ने निर्धारण वर्ष 2014-15 में 01 करोड़ रूपये या अधिक की आय पर कर दिया है। फिर भी हर साल भारत में बीएमडब्ल्यू, जगुआर, ऑडी, मर्सडीज, पोर्श और मसेराटी जैसी 35,000 लक्जरी कारें बेची जाती हैं।

करवंचना के अनेक रास्ते

सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे लोग आयकर नियमों का उल्लंघन करके कैसे बच जाते हैं? इसके पीछे मुख्य कारण है नगद लेन-देन, जिसकी जानकारी बहुत आसानी से छुपाई जा सकती है। *प्राइस वाटर हाउस कूपर्स* ने 2015 में एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत में मूल्य के आधार पर 98 प्रतिशत और मात्रा के आधार पर 68 प्रतिशत लेन-देन उपभोक्ता नकद में करते हैं, जो तुलनीय अर्थव्यवस्थाओं, जैसा कि चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका इत्यादि से काफी अधिक है। असंगठित के अलावा संगठित क्षेत्र में भी अधिकतर आर्थिक क्रियाकलाप बैंकिंग प्रणाली से बाहर समानांतर व्यवस्था के द्वारा किए जाते हैं, ताकि इसका कोई निशान न रह जाये ताकि कानून लागू करने वाली संस्था इस लेन-देन को पकड़ न पाए। हवाला माध्यम से देश और विदेश में रुपये भेजने का तरीका भारतीय उपमहाद्वीप की अपनी खोज है।

भारत में अनगिनत लोग इस तरह के काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। केवल सरकारी और बड़े औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर तमाम नौकरियों में वेतन नकद में दिया जाता है। मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों तथा सेवा क्षेत्र में लोगों को आयकर का डर दिखाकर वेतन नकद में दिया जाता है, बावजूद इसके कि उनका वार्षिक वेतन आयकर छूट की सीमा के अंदर होता है। दिल्ली में कार्यरत निजी सुरक्षाकर्मी या वाहन चालक या घरेलू काम करने वाली महिलाएं, सामान्यतः किसी निजी संस्था के माध्यम से नियुक्त किये जाते हैं, अतः उनका वेतन भी उन्हीं निजी संस्थाओं के माध्यम से दिया जाता है। सेवा लेने वाली संस्था न्यूनतम निर्धारित वेतनमान से ऊपर वेतन देती है, जो कि लगभग 15,000-16,000 रुपये के आसपास होता है, लेकिन मध्यस्थ निजी संस्था अपना कमीशन तो सेवा लेने वाली संस्था से लेती ही है, उसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन का एक बड़ा हिस्सा भी रख लेती है, ये संस्था कर्मचारी को मात्र 8,000-10,000 रुपये देती हैं और उनसे पूरे वेतन पर हस्ताक्षर करवा लेती हैं। बाकि 5,000-6,000 रुपये अनौपचारिक रूप से मध्यस्थ संस्था द्वारा हजम कर लिया जाता है। ये सफेद रुपये हमेशा-हमेशा के लिए मुख्यधारा से निकलकर कालाधन बन जाते हैं। अब यही कालधन, इन संस्थाओं द्वारा अगले साल वापस कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए घूस के तौर पर सेवा लेने वाली संस्थानों के अधिकारियों को दिया जाता है।

अगर इस तरह का कोई कानून बने जो आपके नगद रखने की क्षमता को ही नियंत्रित करे तो शायद लोगों की इस तरह से नगद में अदा करने की क्षमता कम होगी और फिर जो लोग ईमानदारी से धन कमाते हैं उन्हें अपना सफेद पैसा काला करवाने की जरुरत नहीं पड़ेगी। इसी दिशा में 23 जून, 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक ने *भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली-विजन 2018* को प्रकाशित किया।

यह हैरानी का विषय है कि 8 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद आभूषण विक्रेताओं ने 12 बजे रात तक अपने बही-खाते में हजारों बिल काटे और ये सभी बिल 2 लाख रूपये से कम के थे, ताकि पैन नंबर देने की जरुरत न पड़े। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के चांदनी चौक बाजार का एक आभूषण विक्रेता ने 8 तारीख को 12 बजे रात तक 4500 से ऊपर बिल काटे थे। इस तरह कई हजार करोड़ के आभूषण उस रात बिके और उसके लेनदारों का पता आयकर वाले लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि बिल पर ग्राहकों का नाम व पता लिखा ही नहीं है। वहीं अगर खरीदारी के लिए बैंकिंग प्रणाली का उपयोग होता तो खरीददारों के बारे में पता लगाया जा सकता है।

कानूनों का दुरुपयोग

सामान्य परिस्थिति में भी लोग कानून का इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि कर चोरी की जा सके, जैसा कि बैंक में 50,000 रुपये से कम की राशि को कई बार जमा करना ताकि पैन कार्ड की जरुरत न पड़े, महंगे से महंगे गहने भी 2-2 लाख रूपये से कम का बिल बना कर खरीदे जाते हैं। दुपहिया वाहनों की खरीददारी मुख्य रूप से नकदी में होती है। चार पहिये की गाड़ी खरीदने के लिए लोगों ने एक अनूठा तरीका निकाल रखा है जिससे आयकर विभाग के नोटिस से बचा जा सके, लोग कार खरीदने के लिए बैंक से ऋण लेते हैं और फिर बैंक में ईएमआई भरने के लिए अपने खाते में हर महीने नकद जमा करा देते हैं।

गांव से शहरों तक लोग मकान के किराये

से अर्जित आय को या तो दिखाते नहीं है या काफी कम करके आयकर रिटर्न में दिखाते हैं, किरायेदार से किराया नगद में लिया जाता है ताकि उसका कोई सबूत नहीं रहे। दिल्ली-मुम्बई जैसे शहरों में संपत्ति का व्यवसाय काफी लाभ वाला व्यवसाय माना जाता है, संपत्ति कारोबार अपना कमीशन नगदी में ही लेते हैं ताकि आयकर से बचा जा सके।

वैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जहां प्रति विनिमय मूल्य काफी काम होता है, वहां कर चोरी का शक पैदा नहीं होता है, जैसे कि मुम्बई में एक बड़ा पाव की कीमत 10-15 रूपये होती है, लेकिन वहां विनिमय की संख्या बहुत अधिक होने के कारण प्रतिदिन की बिक्री लाखों में होती है। ये दुकानदार हमेशा ही अपने आपको कर प्रणाली से बाहर रखते हैं और बाद में आयकर कार्रवाई के दौरान कालेधन का पता चलता है। अभी कुछ दिन पहले आयकर विभाग ने दिल्ली के बहुत बड़े होटल समूह की जांच शुरू की और पाया कि जहां डेबिट/क्रेडिट कार्ड बिक्री में कोई जोड़-तोड़ नहीं किया गया था, लेकिन नकद बिक्री को 50-60 प्रतिशत कम करके आयकर रिटर्न भरा गया था। यहां तक कि दिल्ली जैसे शहर में भी होटल में डेबिट/क्रेडिट कार्ड बिक्री मुश्किल से 30 प्रतिशत के आसपास होती है।

सुधार के प्रयास

कालेधन पर गठित न्यायमूर्ति ए पी शाह समिति ने अपने जांच में पाया कि शिक्षा और रियल एस्टेट का क्षेत्र कालेधन के प्रमुख स्रोतों में से हैं। दिल्ली सहित सभी शहरी क्षेत्रों में रियल एस्टेट क्षेत्र में संपत्ति खरीदने के लिए कुल तय कीमत का मात्र 30-40 प्रतिशत हिस्सा ही बैंकिंग के माध्यम से अदा किया जाता है और शेष नकदी के तौर पर। विक्रय विलेख (सेल डीड) पर उतनी ही कीमत लिखी जाती है जो प्रॉपर्टी का सर्किल रेट होता है, उतना ही रुपया बैंकिंग प्रणाली से अदा किया जाता है। इससे बेचने वाले अपना दीर्घकालिक पूंजी लाभ कम कर पाते हैं और इस तरह उसे कम दीर्घकालिक पूंजी लाभ कर (लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स) अदा करना पड़ता है। अगर इस तरह का कोई कानून बने जो आपके नगद रखने की क्षमता को ही नियंत्रित करे तो शायद लोगों की इस तरह से नगद में अदा करने की क्षमता कम होगी और फिर जो लोग ईमानदारी से धन कमाते हैं उन्हें अपना सफेद पैसा काला करवाने की जरुरत नहीं पड़ेगी। इसी दिशा में 23 जून, 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक ने *भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली- विज़न 2018* को प्रकाशित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य है सभी वर्गों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को अधिक से अधिक बढ़ावा देकर एक *कम-नगद* समाज का निर्माण करना।

भारत में अक्तूबर, 2016 तक 104 करोड़ डेबिट/क्रेडिट कार्ड प्रचलन में थे और भारत में 2.1 लाख एटीएम और 12 लाख पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल हैं। फिर भी 88-90 प्रतिशत डेबिट/क्रेडिट कार्ड लेन-देन एटीएम के द्वारा होता है वहीं मात्र 10-12 प्रतिशत लेन-देन पीओएस टर्मिनल पर होता है। यह हम भारतीयों की नगद से प्रेम को दर्शाता है।

साधारणतया ऐसा देखा गया है कि जिस देश की भ्रष्टाचार सूचकांक में स्थिति बेहतर है उन देशों में नकदी लेन-देन 10 प्रतिशत से भी कम है। डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, सिंगापुर, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इत्यादि ऐसे देश हैं जो *ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल* के सूचकांक में कम भ्रष्ट राष्ट्रों में गिने जाते हैं, वहीं इन देशों में नगद लेन-देन, कुल लेन-देन के 10 प्रतिशत से भी काम होता है।

इस तरह से देखा जा सकता है कि देश में मुख्यधारा अर्थव्यवस्था के साथ-साथ एक समानांतर अर्थव्यवस्था भी चल रही है जो संभवत: मुख्यधारा अर्थव्यवस्था से बड़ी है और ये समानांतर अर्थव्यवस्था कर प्रणाली से हमेशा बच निकलती है, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि जहां सरकार के पास लाभकारी योजनाओं पर खर्च करने के लिए धनराशि की कमी रहती है, वहीं ईमानदार करदाता पर कर एक बोझ सा दिखता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि सरकार कभी भी अपने नागरिकों की वित्तीय स्थिति के बारे में सही अनुमान नहीं लगा पाती जिसके कारण सरकारी लाभ योग्य लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। इस तरह कालाधन न सिर्फ वित्तीय समावेशन में एक बड़ा बाधक है, बल्कि समावेशी विकास के रास्ते में भी एक प्रमुख समस्या के रूप में है।

कालाधन व भ्रष्टाचार: चोली-दामन का साथ

कालाधन न सिर्फ इसलिए गलत है, क्योंकि इस पर कर की चोरी की जाती है बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देता है। यहां स्पष्ट होना चाहिए कि भ्रष्टाचार और कालेधन में अंतर है। कालाधन जहां वैसे धन को कहा जाता है जिस पर आयकर नियमों के तहत कर अदायगी नहीं की गयी हो, वहीं दूसरी ओर आमतौर पर सरकारी सत्ता और संसाधनों के निजी फायदे के लिए किये जाने वाले बेजा इस्तेमाल को भ्रष्टाचार की संज्ञा दी जाती है। प्रथम दृष्टि भ्रष्टाचार और कालाधन भले ही एक-दूसरे से अलग दिखें, लेकिन ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। जहां एक ओर भ्रष्टाचार से कमाया गए धन को सामान्यतया पकड़े जाने के डर से मुख्यधारा में नहीं लाया जाता है। अत: इन पर आयकर भी नहीं दिया जाता जिसके कारण ये कालेधन की श्रेणी में भी आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कालेधन का उपयोग सरकारी तंत्रों की कमजोर कड़ी को भ्रष्ट करने के लिए किया जाता है।

कमनगद समाज ही कम भ्रष्ट

भ्रष्टाचार के लिए नकद और सुविधाओं (कैश और काइंड) का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात अपना काम करवाने के लिए लोग मजबूरन या आदतन सरकारी महकमें को घूस देते हैं। सामान्यत: इस प्रकार का गैर-कानूनी लेन-देन नकदी में होता है, क्योंकि रुपये को छुपाना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सबसे आसान होता है। नगद में किए गए लेन-देन का कैश ट्रेल पकड़ना भी मुश्किल होता है। वहीं दूसरी ओर बैंकिंग माध्यम से किया गया लेन-देन बहुस्तरीय के लेन-देन (मल्टी-लेयर विनिमय) के बाद भी पकड़ा जा सकता है। यही कारण है कि नगद

लेन-देन कालेधन को बढ़ावा देता है। स्पष्ट तौर पर जिस अर्थतंत्र में नकदी जितनी अधिक होगी वहां घूस देना उतना आसान होगा। यही कारण है कि *ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल* के भ्रष्टाचार सूचकांक में जो राष्ट्र सबसे कम भ्रष्ट श्रेणी में गिने जाते हैं, वो ऐसे राष्ट्र हैं, जहां नकदी में लेन-देन सबसे कम होता है। साधारणतया ऐसा देखा गया है कि जिस देश की भ्रष्टाचार सूचकांक में स्थिति बेहतर है उन देशों में नकदी लेन-देन 10 प्रतिशत से भी कम है। डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, सिंगापुर, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इत्यादि ऐसे देश हैं जो *ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल* के सूचकांक में कम भ्रष्ट राष्ट्रों में गिने जाते हैं, वहीं इन देशों में नगद लेन-देन, कुल लेन-देन के 10 प्रतिशत से भी काम होता है।

आसान नहीं राह

फिर प्रश्न उठता है, क्या केवल नकदी कम हो जाने से कालाधन पूर्णरूप से खत्म हो जायेगा? शायद नहीं। कालाधन बैंकिंग प्रणाली से भी अर्जित किया जाता है। वास्तव में बड़े स्तर पर जो कर-चोरी होती है। उसे बाद में बहुस्तरीय विनिमय के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में लाया जाता है। आयकर इतिहास में दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ कर घोटाला भी एक ऐसा ही उदाहरण है। लोग परिवार में आय विभाजन (एक सदस्य के द्वारा कमायी गयी आय घर के सदस्यों के बीच में इस तरह बांट कर दिखाया कि न्यूनतम कर अदा करना पड़े) कर के भी कर की चोरी करते हैं। लेकिन कम से कम ये घोषित आय तो होती है। सामान्य व्यावसाय में कर चोरी करने के कई और तरीकों में से एक तरीका है कागज पर कीमत अदा करने का वादा करके भविष्य में प्रतिपूर्ति लेन-देन के दौरान वो कागज वापस ले लिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे 'क' ने 'ख' से आज कुछ लिया और कीमत देने के बदले उसे एक कागज पर भविष्य में अदा करने का वचन लिख कर दे दिया और भविष्य में 'ख' ने 'ग' से कुछ लिया और उसने 'ग' को अपने पास रखा 'क' वाला कागज दे दिया, कुछ दिनों बाद 'ग' ने 'क' से कुछ लिया और 'ख' से प्राप्त 'क' वाला कागज वापस 'क' को लौट दिया। इस तरह के वृतीय व्यावसाय में 3 बार विनिमय होने के बावजूद कोई पैसे का लेन-देन नहीं होता और न ही विनिमय पर कोई कर ही अदा की जाती। इसी तरह से कई और भी तरीके से लोग कर की चोरी करते हैं।

निःसंदेह किसी भी अर्थव्यवस्था में से कालेधन को पूर्णरूप से खत्म करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इसे कम जरूर किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में नगदी में लेन-देन कम करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक पारदर्शी और उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ईमानदार नौकरशाही, जागरूक नागरिक, ठोस कानून व्यवस्था, नैतिक सामाजिक तंत्र इत्यादि का निर्माण कर कालेधन के खिलाफ छिड़ी मुहीम को अपने अंजाम तक ले जाने की जरूरत है। ❑

www.afeias.com

IAS की Free तैयारी

IAS की परीक्षा के निःशुल्क मार्गदर्शन के लिए डॉ. विजय अग्रवाल की वेबसाइट

इस पर आपको मिलेगा –

- प्रतिदिन ऑडियो लेक्चर
- अखबारों पर समीक्षात्मक चर्चा
- परीक्षा सम्बन्धी लेख
- आकाशवाणी के समाचार
- वीडिओ
- नॉलेज सेंटर
- अखबारों की महत्वपूर्ण कतरनें
- फ्री मॉक-टेस्ट।

सुनिए डॉ. विजय अग्रवाल का लेक्चर रोज़ाना

लॉग ऑन करें- www.afeias.com

डॉ. विजय अग्रवाल की पुस्तक

'आप IAS कैसे बनेंगे'

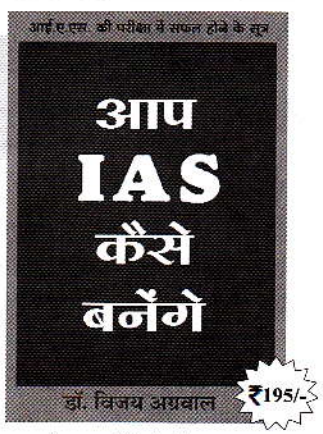

यह किताब IAS की तैयारी करने वालों के लिए एक 'चलता-फिरता कोचिंग संस्थान' है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं के यहाँ उपलब्ध